भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 342

जिसका उत्तर सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन

342. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(2) में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संशोधन से बीमा एजेंटों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संशोधन से ग्राहक सेवा पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के बीमा एजेंटों को निजी बीमा एजेंसियों/कंपनियों के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रही है और यदि हां, तो इसके संभावित परिणाम क्या हैं; और

(च) पिछले छह महीनों के दौरान एलआईसी पालिसीधारकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है और उक्त कमी के कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड़): सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और इसे दिसंबर, 2025 में भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। उक्त संशोधन के माध्यम से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(2) में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(च): भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, परिपक्वता और मृत्यु दावों के माध्यम से व्यय में वृद्धि के कारण दिनांक 1.7.2025 से दिनांक 31.12.2025 की अवधि के दौरान पॉलिसीधारकों की संख्या में 0.42% की गिरावट आई है।
